मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा बाबत।

:::::

भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन, अधिनियम, 2019 में निम्नांकित प्रावधान किए है:–

2. In article 15 of the Constitution, after clause (5), the followig clause shall be inserted namely:-

'(6) Nothing in this article or sub-clause (g) of clause (1) of article 19 or clause (2) of article 29 shall prevent the State from making:-

(a) any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5); and

(b) any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educatinal institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30, which in the case of reservation would be in addition to the existing reservations and subject to a maximum of ten per cent, of the total seats in each category.

Explanation- For the purposes of this article and article 16, "economically weaker sections" shall be such as may be notified by the State from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage.'

3. In article 16 of the Constitution, after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:-

"(6) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of apppointments or posts in favour of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause (4), in addition to the existing reservation and subject to a maximum of ten per cent, of the posts in each category."

2. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया है कि उक्त संविधान संशोधन के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद–341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना कमांक एफ–85–25–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विर्निदिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

3. अतः अब :–

1. निर्देश जारी होने के दिनांक से राज्य शासन के प्रत्येक "स्थापन" में सीधी भर्ती के प्रकम पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर उक्त आरक्षण प्रभावशील होगा।

   टीपः–"स्थापन" का आशय वही होगा, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–2(ख) में वर्णित है।

2. इस वर्ष प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर, प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु उक्त आरक्षण प्रभावशील होगा। किन्तु जिन शिक्षण संस्थाओं में इस वर्ष प्रवेश प्रकिया पूर्ण हो चुकी है, उन शिक्षण संस्थाओं में उक्त आरक्षण अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा।

4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:–

(1) ऐसे परिवार की कुल वार्षिक आय रू0 8.00 (आठ लाख) से अधिक न हो। आय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी, जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से होवे।

(2) निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे:--

(1) जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो
(जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इसमें शामिल नहीं होगी)

(2) जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।

(3) जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

(4) नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

5. आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र

आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रमाण–पत्र का प्ररूप संलग्न है।

संलग्नः–यथोपरि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
02.07.19.
(प्रेमचन्द मीना)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0कमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019

1. प्रमख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।

8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ़लेट नं0–103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद–500082।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
20 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-........................ दिनांक-...............................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पति/पुत्री.. ग्राम/कस्बा...

पोस्ट ऑफिस...थाना...
तहसील.................................. जिला...................................... राज्य..
पिन कोड.................. के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
II. जिसके पास 1200 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी..जाति.. के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर...............(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार